



राजस्थान  
श्रीमन्मंत्रि योजना

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

## कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no. 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 (106/OFC)/एफसीए./मुवसं/2023-24/ 3861  
निमित्त

दिनांक :- 23/6/2023

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय- permission for laying underground OFC in ROW of existing PWD road  
from Gerhi to Peeplekhot from Lat/Long 23.845817/74.323689  
(village Mundela) to 3.855166/74.448102 (Gangji ka Khera) in  
Banswara District. Total length & area in forest and non-Forest are  
6.636 KM & 0.2986 ha and 13.407 & 0.6033 ha respectively in  
Bnsawara District, Rajasthan.

संदर्भ :-आपका पत्रांक 5786 दिनांक 26.04.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से आलौच्य प्रकरण में 7 बिन्दुओं पर आक्षेप लगाए जाकर वांछित सूचनाएँ/स्पष्टीकरण चाहा गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा उनके पत्रांक प 140/विधि/उवस/2023/4460 दिनांक 20.06.2023 से वांछित सूचनाओं का बिन्दुवार पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

अतः उप वन संरक्षक, बांसवाडा से प्राप्त वांछित सूचना इस कार्यालय की सहमति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु ऑनलाईन कर हार्ड कॉपी में संलग्न प्रेषित है।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर.के.सिंह)  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

दिनांक :-

क्रमांक एफ 5 (106/OFC)/एफसीए./मुवसं/2023-24/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- उप वन संरक्षक, बांसवाडा को उनके पत्रांक 4460 दिनांक 20.06.2023 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि जब तक उक्त प्रकरण में सक्षम स्तर से स्वीकृति न मिले तब तक वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य न हो यह भी सुनिश्चित करें।
- 2-M/s. Reliance Jio Fiber Private Ltd., Jaipur.

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

### Signature valid

Digitally signed by Raj Kumar Singh  
Designation: Chief Conservator Of  
Forest  
Date: 2023.06.21 17:53:51 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4101127



## कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प14()/विविध/उवसं/2023/4460

दिनांक :- 20/06/2023

निमित्त  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

विषय :- Permission for laying underground OFC in ROW of existing PWD road from Garhi to Peepalkhunt from Lat/Long 23.845817/74.323689 (village mundela ) to 23.855166 / 74.448102 ( Gangji ka kheda ) in Banswara Disrtict. Total length & area in forest and non forest are 6.636KM & 0.2986 ha. and 13.407 & 0.6033 ha. respectively in Banswara District.(Online Forest Proposal no. FP/RJ/OFC/150331/2021


सन्दर्भ :-आपके कार्यालय के पत्रांक 3792 दिनांक 16.06.2023 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख ) के पत्रांक 5787-88 दिनांक 26.04.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा उक्त प्रकरण में लगाये गये आक्षेप संख्या -1 का प्रत्युत्तर जो सहवन से रह गया था संलग्न कर एवं पूर्व के आक्षेपों हार्ड कॉपी संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

क्र.सं	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	As the proposal is submitted for laying of OFC cable within ROW, noc from state PWD department is required.	संलग्न है।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार

भवदीय,  
  
(जिगनेश शर्मा )  
उप वन संरक्षक,  
बांसवाड़ा

आज्ञेय निम्न संख्या - 1

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, PWD, RAJASTHAN, JAIPUR.

No. F. 18(572)/CE/OFC/21/D. 3814

Dated :- 24.1.2022

Authorized Signatory,  
M/s. Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.  
Anand Bhawan, 1st Floor  
Sansar Chandra Road,  
JAIPUR

Sub :- Permission for laying underground OFC along roads from Lohariya to Semari via Ganoda Nazarpura, Umarjhala, Rooppura, Regniya, Dungariya, Badliya and Malikheda =40.00 Km.

Sir,

A copy of the Agreement for laying underground optical fiber cables as detailed below, duly executed, is sent enclosed herewith to you for your further needful:-

Along road from Lohariya to Semari via Ganoda Nazarpura, Umarjhala, Rooppura, Regniya, Dungariya, Badliya and Malikheda =40.00 Km.

2. The work will be taken up strictly as per the lay out route plan submitted by you and assessed/ approved by the PWD and/ or local authorities.
3. The trenches should be dug at the extreme end of the road boundary in a width of 0.500 mtrs. only.
4. Since you have deposited the restoration cost estimate for BT/WBM road cuts with the following authorities:-

1 EE PWD Dn. Ghatol = Rs. 9,73,943/-

The restoration cost of the BT/WBM road cuts shall be done by PWD/RSRDCC/RIDCOR, but the earthen kutchha and any damaged BT/Gravel layer restoration beyond the estimate, shall be done by you, at the earliest of the digging of the trenches.

5. Prior to start of any work the applicant should obtain permission from Forest Department, if applicable.
6. The work will be completed within 3 months period.

7. While digging the trenches, all safety measures shall be taken by you.
8. As soon as the OFC trenching work and cable testing is completed by you, this office, as well as the concerned authority should be informed immediately.

Encl:- A/a.

Yours faithfully,  
*[Signature]* 24/1/2022  
(SANJIV MATHUR)  
CHIEF ENGINEER & ADDL. SECY.  
PWD, RAJASTHAN, JAIPUR.

No. F. 18(572)/CE/OFC/21/D- 3814

Dated :- 24.1.22

Copy to the following for information and necessary action :-

1. Superintending Engineer, PWD Circle Banswara
2. EE PWD Dn. Ghatol

As soon as the work is completed, the restoration should be completed out of the funds deposited with them by the Entrepreneur.

Encl:- A/a.

*[Signature]* 24/1/2022  
(SANJIV MATHUR)  
CHIEF ENGINEER & ADDL. SECY.  
PWD, RAJASTHAN, JAIPUR

		योग		4	537.75	197.00	340.75
165	घाटोल	चीथाथला मंडलिया	356.50	1	210.00	81.00	129.00
166	घाटोल	चीथाथला मंडलिया		2	146.50	58.00	88.50
		योग		2	356.50	139.00	217.50
167	घाटोल	दुदका कुण्डली ए	474.55	1	149.88	111.00	38.88
168	घाटोल	दुदका कुण्डली ए		2	142.00	18.00	124.00
169	घाटोल	दुदका कुण्डली बी		3	182.67	0.00	182.67
		योग		3	474.55	129.00	345.55
170	घाटोल	गरजिया मगरा	1180.32	1	105.00	80.00	25.00
171	घाटोल	गरजिया मगरा		2	240.00	0.00	240.00
172	घाटोल	गरजिया मगरा		3	145.00	80.00	65.00
173	घाटोल	गरजिया मगरा		4	165.00	52.00	113.00
174	घाटोल	गरजिया मगरा		7	140.32	68.00	72.32
		योग		5	795.32	280.00	515.32
175	घाटोल	जगमेर जोगीमाल ए	5952.90	1	315.00	143.00	172.00
176	घाटोल	जगमेर जोगीमाल ए		2	395.00	210.00	185.00
177	घाटोल	जगमेर जोगीमाल ए		3	290.00	52.00	238.00
178	घाटोल	जगमेर जोगीमाल ए		4	230.00	42.00	188.00
179	घाटोल	जगमेर जोगीमाल ए		6	250.00	12.00	238.00
180	घाटोल	जगमेर जोगीमाल ए		7	195.00	0.00	195.00
181	घाटोल	जगमेर जोगीमाल ए		10	295.00	40.00	255.00
182	घाटोल	जगमेर जोगीमाल ए		12	445.00	97.00	348.00
183	घाटोल	जगमेर जोगीमाल ए		14	215.00	1.00	214.00
184	घाटोल	जगमेर जोगीमाल ए		15	170.00	0.00	170.00

207	घाटोल	सातबीडिया		8	145.00	82.00	63.00
208	घाटोल	सातबीडिया		9	160.00	93.00	67.00
209	घाटोल	सातबीडिया		10	131.00	54.00	77.00
योग				9	1366.00	527.00	839.00
210	घाटोल	उमरझाला पठारा बी	3298.81	16	41.22	61.00	-19.78
211	घाटोल	उमरझाला पठारा डी		18	3.02	0.00	3.02
212	घाटोल	उमरझाला पठारा ए		1	275.00	0.00	275.00
213	घाटोल	उमरझाला पठारा ए		4	275.00	9.00	266.00
214	घाटोल	उमरझाला पठारा ए		5	123.97	0.00	123.97
215	घाटोल	उमरझाला पठारा ए		6	150.00	31.00	119.00
216	घाटोल	उमरझाला पठारा ए		8	250.00	47.00	203.00
217	घाटोल	उमरझाला पठारा ए		9	145.00	56.00	89.00
218	घाटोल	उमरझाला पठारा ए		10	220.00	8.00	212.00
219	घाटोल	उमरझाला पठारा ए		12	335.00	21.00	314.00
220	घाटोल	उमरझाला पठारा ए		13	165.00	0.00	165.00
221	घाटोल	उमरझाला पठारा ए	14	195.00	47.00	148.00	
योग				12	2178.21	280.00	1898.21
222	घाटोल	वडलिया नाडा ए	460.37	3	105.00	71.00	34.00
223	घाटोल	वडलिया नाडा बी		2	135.00	41.00	94.00
224	घाटोल	वडलिया नाडा बी		4	80.85	0.00	80.85
225	घाटोल	वडलिया नाडा बी		1	126.00	35.00	91.00
226	घाटोल	वडलिया नाडा सी		5	13.52	0.00	13.52
योग				5	460.37	147.00	313.37

राज्य विभाग

विज्ञप्ति

Form 0

क्रमांक (६) (१) राज 18/73

दिनांक 31-10-73

1. पूर्व के राज्य संलग्न पट्टाओं में अधोविद्युत पन-भूमि तथा बंदर भूमि में प्रथम उद्यम पर सरकार के धीरे-धीरे व्ययों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की ओर उनका प्रतिनिधित्व राजस्थान पन अधिनियम (1953) का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसूची में किया जा चुका है।

2. अब प्रथम अनुसूची अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा पदत अधिकारों के प्रयोग में राज्य सरकार अधिभार पोषित करती है कि कबित अधिनियम के प्रमाण 4 के अनुसार पूर्वोक्त पन-भूमि और बंदर-भूमि पर लागू होने से कि अधिनियम रचित बन करतया जानेगा।

श्रीगणेशाय नमः  
15-5-75  
प्रकारित

54

राज्यपाल की आज्ञा से,  
510 34 शासक सचिव  
राजस्थान (अ) विभाग  
भावन सचिव/राज्यपाल

अनुसूची

दिना	वर्ग	श्रेणी या वन क्षेत्र	पौगा	क्षेत्रफल वन क्षेत्र या भू-भाग एकरों में	विशेष विवरण	
सिन्धुवाडा	धारा 29	उमरजला पट्टा धारा 29 (ए)	जगपुरा	1220.2	42	सीमा रेखा निश्चयन पर शिष्ट (अ) संलग्न है।
			उमरजला	1230.	42	
			अरनाभुसुवाडा	848.	88	
			देवलिपाडा	94.	00	
			हजारी-भुसुवाडा	2.	82	
			मफनपुरा	806.	42	
			अमरपुरा	204.	88	
			जगल	1422.	42	
			रोटनिमाका	9.	02	
			लिमा	20.	40	
			वाडलिमा	923.	00	
			मानमोड	4800.	48	
			देवलिपाडा	242.	22	
			देवलिपाडा राकेश	862.	04	
पट्टा	0848.	20				

राज्यपाल की आज्ञा से,  
सचिव/राज्यपाल

43/10/53

10/10/53

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

संख्या 1(6) (41) राज-8/73

दिनांक 15-3-54

यदि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में प्रथम उक्त पर सरकार के मोर प्रादेव सतिभो के अधिनारो के प्रकार तथा सीमा की बांध धोर उनका अभिलेखन राजस्व वन अधिनियम ( 1953 का राजस्व वन अधिनियम संख्या 13 ) की धारा 29 की उप-धारा ( 3 ) के अधीन धारो की गई विज्ञप्ति के अनुवर्ण में किया जा चुका है।

धतः अथ उपसूक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्ति.ों के प्रयोग में राज्य सरकार अर्द्धतया घोषित करती है कि कवित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुवर्ण पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होने की कि एवधरबाध रहित वन कहनामा जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वन-खण्ड	शोखा	क्षेत्रफल वन-खण्ड या शोखा एकड़ों में	विशेष विवरण
झींझार	धाटोल	खलिमा	1-वनपुरा	2.98	धिमता रैधा परिशिष्ट (अ) संदर्भ है.
		नाटा	2-नाटा	100.00	
		माटं-2	3-माटं	88.10	
			4-अमरपुर	18.20	
				219.28	
				0.80 अर्	मोठ
			अर्धत	1.02 अर्	दि०मा०

TRUE-COPY  
3/3/54  
उपस्थित वन अधिनियम अधिनियम  
उपस्थित (3/3/54)

अधिसूचित  
धाटोल, जिला झींझार



(Form 0)

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

संख्या 1(L) (VI) 218/8/73

दिनांक 15.3.74 सर्व

पूँ कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा खंडर-भूमि में प्रयत्न कर पर सरकार के प्रोद प्राव्यंत व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की पांच प्रोद उनका अभिलेखन राजस्वगत वन प्रविनियम ( 1953 का राजस्वगत प्रविनियम संख्या 13 ) की धारा 29 की उप-धारा ( 3 ) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में लिखित रूप में 15-3-74

धतः प्रय उपर्युक्त प्रविनियम की धारा 20 की उप-धारा ( 1 ) के द्वारा प्रवक्त व्यक्तियों के अधीन राज्य एकरा द्वारा घोषित गरी है कि क्वित प्रविनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन-भूमि प्रोद खंडर-भूमि पर लागू होंगे की कि एतदध्वन्य रचित वन कहनामा आवेगा ।

राज्यपाल की आना से,

शासन सचिव ।

धनि

अरपुर

अनुसूची

नेरीपुरा

गुनामा अन्तर्गत भूमिको

नाडा घाटी

पट्टी या वन-खण्ड	मोना	क्षेत्रफल वन-खण्ड या मोना एकड़ों में	विशेष विवरण
हडमलिया	- अरपुर	५९.२८	सीमा रेखा परिशिष्ट (अ) संलग्न है .
नाडा पार्क	- देखीपुरा	१२२.५०	
बी	- कुमादा-	१०२.५२	
	अरपुर		
	- भीमछौर	२२६.५४	
	- नाडा	१६६.७०	
	- हडमलिया	७०.७०	
	- गामजी क	५६.००	
	- डागर	१७.१४	
		५४४.७२	
		या १.२२ वर्ग मी०,	
		या २.४१ वर्ग मी०,	

म प्रतिलिपि

दिनांक 15/3/74

## SITE INSPECTION REPORT

आक्षेप क्रि-3 संख्या - 6

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150331/2020/01

Name of the Project: Diversion of 0.2986 of forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from garhi to pipalkhunt District - Banswara (Raj.).

A proposal has been received from M/s Reliance Jio Infocom Ltd. Jaipur (Rajasthan) for diversion (under FCA-1980) of 0.2986 Ha. of forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from garhi to peepalkhunt District - Banswara (Raj.).

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 03-01-2021. On inspection of the site; it is found that the land required by the user agency is a protected forest land measuring 0.2986 Ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof : NO.

Whether any protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required : NO.


(a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

(b) It has been found that the user agency has not violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions. A detailed report as per Para 1.9 of Chapter 1, Part C of Hand book of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached).

Legal status of Forest land proposed for Diversion is : Protected Forest.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal : There is no any other alternative is available for laying of OFC except using ROW of the Road passing through Protected Forest Land. Hence 0.2986 ha. of forest land is recommended for diversion as proposed by the user agency.

Place: Banswara  
Date: 28-02-2023

  
(Jignesh Sharma)  
Dy. Conservator of Forests,  
Banswara

आज्ञेय लिखु संख्या - 7

**RECOMMENDATION NOT BELOW THE RANK OF DCF**  
(For the Forest land to be diverted under FCA)

Name of Project: Diversion of 0.2986 of forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from garhi to peepalkhant District - Banswara (Raj.).

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150331/2020/01


Recommended Area : 0.2986 Hectare

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal :

There is no any other alternative is available for laying of OFC except using ROW of the Road passing through Protected Forest Land. Hence 0.2986 ha. of forest land is recommended for diversion as proposed by the user agency.

Place: Banswara

Date: 28-02-2023



(Jignesh Sharma)  
Dy. Conservator of Forests,  
Banswara